FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर, अलवर मुकाम अलवर

उनवान ओम प्रकाश बनाम रामरती वगैरा

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र मुन्तकिल नम्बर 15/79/2020

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.11.20	आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते बहस पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उप खण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 278/2018 ओमप्रकाश बनाम रामरती विचाराधीन है। कोविड–19 की वजह से सभी मुकदमों में इकजाई पेशी नियत की गयी किन्तु इस प्रकरण में दिनांक 20.10.20 की पेशी नियत कर दी। दिनांक 20.10.20 को न्यायालय में लम्बित सभी प्रकरणों में इकजाई पेशी लगायी गयी थी, किन्तु इस प्रकरण में पीठासीन अधिकारी ने नजदीक की तारीख पेशी 28.10.20 नियत कर दी। पीठासीन अधिकारी ने खुले न्यायालय में कहा कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत टी0आई0 प्रार्थना पत्र में कोई सार नही है तथा वह खारिज किये जाने योग्य है। पीठासीन अधिकारी प्रकरण में विशेष रूची लेते हुये अलग से तारीख पेशी नजदीक–नजदीक तारीख पेशी नियत कर प्रकरण का जल्दबाजी में निस्तारण करने की कौशिश कर रहें है व प्रकरण में व्यक्तिगत रूचि रखकर मुकदमें का जल्दबाजी में निस्तारण करने का प्रयाव किया जा रहा है। उनके द्वारा विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही नही कर रहें है, तथा ऐलानिया तौर पर कहा कि आगामी तारीख को आवश्यक रूप से फैसला कर दूगां। पीठासीन अधिकारी से न्याय की आशा नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व वाद ओमप्रकाश बनाम रानरती दीगर न्यायालय में मुन्तकिल कर दिया जावें। विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र बिना किसी युक्तियुक्त कारण के महज प्रकरण लम्बित करने के लिए पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र में अंकित आक्षेप कोल कल्पित रूप दर्ज किये है, जिनका कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थी महज वाद पत्र में कार्यवाही को लम्बित रखने की गर्ज की नियत से पेंश किया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार को न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग नहीं करना चाहिए व उसकी प्रक्रिया का नाजायज रूप से फायदा नहीं उठाना चाहिए। प्रकरण में विधिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नही किया है लिहाजा प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज फरमाया जावें। हमनें पत्रावली एवं विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया। विद्वान वकील प्रार्थीनी का मुख्य तर्क यह है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में नजदीक–नजदीक की तारीखे दी जा रही हैं, उनके द्वारा विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही नही कर रहें है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ केवल स्वयं का हलफनामा लगाया है अपने कथन के समर्थन में अन्य किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ पत्र पेंश नहीं किया है। आरोपों के संबंध में कोई प्रमाणित साक्ष्य पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र का लम्बी अवधि तक चलने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नीमराना को भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर (आनन्दी) जिला कलेक्टर, (अलवर)	